निर्णय ब इजलास अन्तर सिंह नेहरा आई.ए.एस. जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट जयपुर

प्रकरण संख्या 95/2021 (मुन्तकिल प्रार्थना पत्र)

1. सत्तार पुत्र अब्दुल्ला जाति मुसलमान निवासी ताला, तहसील जमवारामगढ।

प्रार्थी

बनाम

1. श्री विश्वामित्र मीणा आर ए एस सहायक कलक्टर जमवारामगढ जिला जयपुर ।
2. अलमुद्दीन पुत्र नन्हें खां
3. सद्दीक खां पुत्र नन्हें खां
4. सलीम खां पुत्र नन्हें खां
5. हनीफ खां पुत्र नन्हें खां
6. अज्जन तोफन पत्नी नन्हें खां
7. सलमा पुत्री नन्हें खां
8. साजिदा बानो पुत्री नन्हें खां

जातियान मुसलमान निवासी ताला, तहसील जमवारामगढ ।

अप्रार्थीगण

मुन्तकिल प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 235 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 बाबत सहायक कलक्टर जमवारामगढ के समक्ष विचाराधीन प्रकरण संख्या 30/2021 ब उनवानी भौरी लाल बनाम हनुमान व अन्य व प्रार्थना पत्र संख्या 22/2021 ब उनवानी सत्तार बनाम अलमुद्दीन व अन्य को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में मुन्तकिल किये जाने बाबत।

उपस्थितः—

1. श्री बृजेश पारीक अधिवक्ता प्रार्थी की ओर से ।

निर्णय दिनांक 30.09.2021

1. संक्षेप में मुन्तकिल प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि न्यायालय सहायक कलक्टर जमवारामगढ के समक्ष प्रकरण संख्या 30/2021 ब उनवानी भौरी लाल बनाम हनुमान व अन्य व प्रार्थना पत्र संख्या 22/2021 ब उनवानी सत्तार बनाम अलमुद्दीन व अन्य विचाराधीन है। जिसमें पीठासीन अधिकारी से न्याय मिलने में शंका जाहिर कर उक्त प्रकरण को अन्यत्र सक्षम न्यायालय में अन्तरण किये जाने का अनुरोध किया है।
2. प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। न्यायालय सहायक कलक्टर जमवारामगढ से बिन्दूवार टिप्पणी तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय में संयोजित पक्षकार

ल्ला कलक्टर
जयपुर

संख्या 18 खाजू खां की ओर से अधिवक्ता श्री सचिन शर्मा ने उपस्थित होकर वकालतनामा पेश किया ।

3. बहस उभय पक्ष सुनी गई।

4. प्रार्थी अधिवक्ता ने मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि विपक्षी संख्या 2 लगायत 8 ने भू माफियां लोगो को अपने साथ मिलाते हुए उक्त प्रकरण में अंकित भूमियों में दीगर लोगो को कब्जा कराने व हस्तान्तरण कराने व प्रार्थी को मौके कब्जे से बेदखल करने की धमकी दी है, मामला मौके कब्जे अनुसार ले कर जिसके लिए प्रार्थी संख्या 1 ने उक्त प्रकरण को पूर्व से नियत दिनांक 12.05.2021 से दिनांक 08.04.2021 रख दिया गया जिसके संबंध में प्रार्थी स्वयं व अन्य संयोजित पक्षकारों को कोई सूचनार्थ नोटिस जारी नहीं किया गया है तथा मुकदमें को पूर्व से नियत तिथि से पूर्व ही खारिज करते हुए, जिसके अनुसार प्रार्थी को कब्जे काश्त के तकासमें के विधिक अधिकारों से वंचित करना चाहते है। विवादित भूमि के रिकार्ड व मौके पर दिगर अजनबी का कब्जा व इन्द्राज कराना चाहते है। प्रार्थी ने विचाराधीन मुकदमें में विवादित भूमि में अपने हक खातेदारी अधिकारों व कब्जे काश्त व रिकार्ड मुताबिक बंटवारे हेतु उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ के समक्ष राजस्व वाद प्रस्तुत किया है। उक्त प्रकरण में उक्त विपक्षीगण संख्या 2 लगायत 8 सहित कुछ भू माफिया लोग राजनैतिक पहुंच वाले है तथा उन्होंने प्रार्थी एवं ग्राम वासियों को एलानियां धमकियों सहित कहा है कि अपने राजनैतिक पहुंच के बल पर पीठासीन अधिकारी को कह कर निर्णय अपने पक्ष में कराने की बात हो चुकी है तथा उक्त मुकदमें को खारिज कराते हुए विवादित भूमि का विक्रय कर भूमि पर लठबल से प्रार्थी व प्रार्थी के परिवारजन को बेदखल कर दिगर व्यक्ति का कब्जा करा दिया जावेगा एवं प्रार्थी को अपने अधिकारों से वंचित कर दिया जावेगा। विपक्षीगण संख्या 2 लगायत 8 के भू दलाल गत पेशी दिनांक 05.04.2021 को उपखण्ड अधिकारी जमरामगढ के चैम्बर में करीब 20 मिनट तक बैठ कर चैम्बर से बाहर निकालते हुये मोजूद प्रार्थी को कथन किया कि उक्त मुकदमें को खारिज करवा दिया जावेगा । प्रार्थी को उक्त विपक्षीगण के कथनों से यह विश्वास हो गया कि उन्होंने अधीनस्थ न्यायालय से न्याय नहीं मिलने दिया जा सकेगा। उक्त कथनों के अनुसार प्रार्थी के मुकदमों में प्रार्थी के विरूद्व अन्यायिक आदेश कराने हेतु ही विपक्षी संख्या 1 द्वारा उक्त मुकदमों में तारीख पेशी को परिवर्तन करने के आदेश दे दिया गया, जिसकी सूचनार्थ व कार्यवाही हेतु प्रार्थी व अन्य पक्षकारों को कोई नोटिस भी जारी तक नहीं किये गये। विचाराधीन रहते किसी भी प्रकरण में कोई भी प्रभावी आदेश पारित करने से पूर्व प्रकरण में संयोजित सभी पक्षकारों को सूचनार्थ नोटिस जारी करना आवश्यक होता है। लेकिन विपक्षीगण संख्या 2 लगायत 8 की ओर से ना तो कोई दिनांक 08.04.2021 की नियत दिनांक बाबत कोई नोटिस पेश किये गये एवं विपक्षी संख्या 2 लगायत 8 से ना ही विपक्षी संख्या 1 ने प्रकरण में नोटिस पेश कराये । ना ही पक्षकारों को तलब करने की कार्यवाही की जा रही है केवल मात्र मुकदमें को खारिज करने की चेतावनियां तक दी जा रही है जिससे यह तथ्य भी स्वयं मे साबित है कि पीठासीन अधिकारी भी विपक्षीगण के प्रभाव में है। उक्त प्रकरण में पीठासीन अधिकारी के व्यवहार से भी स्पष्ट हो गया है कि वे विपक्षीगण के दबाव में आ कर आनन

जिला कलक्टर
जयपुर

फानन में फरदर सुनवाई करते हुए विधि विरूद्व अपना निर्णय देंगे। ऐसी अवस्था में तथ्यों तथा साक्ष्य के आधार पर निर्णय न हो कर अनुचित दबाव में निर्णय होने की पूर्ण सम्भावना होने के कारण पत्रावली को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरण किया जाना आवश्यक है। अतः न्यायहित में प्रकरण को अन्य सक्षम न्यायालय में हस्तान्तरित किया जाने के आदेश फरमावें।

5. प्रकरण में अधीनस्थ न्यायालय में संयोजित पक्षकार संख्या 18 खाजू खां की ओर से वकील श्री सचिन शर्मा ने उपस्थित हो कर कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय में खाजू खां पक्षकार है, परन्तु उसे मुन्तकिल प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। कथनों की पुष्टि में अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के उनवान की फोटो प्रति व शपथ पत्र अवलोकनार्थ प्रस्तुत है । प्रार्थी ने मूल प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब करने की नियत से मिथ्या कथन अंकित करते हुये मुन्तिकल प्रार्थना पत्र में सभी आवश्यक पक्षकारों को अंकित नहीं कर यह दूषित मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया है। अतः मुन्तकिल प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।

6. उभय पक्ष को गौर से सुना गया। पत्रावली का भलीभांति अवलोकन किया गया।

7. प्रार्थी ने अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर जमवारामगढ में विचाराधीन प्रकरण में जो पक्षकार है, उन सभी को मुन्तिकल प्रार्थना पत्र में पक्षकार नहीं बनाया गया है। प्रार्थी द्वारा दूषित मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश किया गया है। जिससे प्रार्थी के कथन को बल नहीं मिलता है। प्रार्थी का मुन्तकिल प्रार्थना पत्र पेश करने का मूल उद्वेश्य अधीनस्थ न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण के निस्तारण में अनावश्यक विलम्ब किया जाना पाया गया है। जो कि न्याय के नैसर्गिक सिद्वान्त के विपरीत है। फलस्वरूप मुन्तकिलन प्रार्थना पत्र खारिज किया जाता है।

8. सहायक कलक्टर जमवारामगढ को निर्देशित किया जाता है कि उभय पक्ष को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का मैरिट पर निस्तारण करें।

9. निर्णय की प्रति पालनार्थ हस्व कायदा न्यायालय सहायक कलक्टर जमवारामगढ को प्रेषित हो। पत्रावली नम्बर से कम हो कर शुमार फैसल हो।

10. निर्णय आज दिनांक 30.09.2021 को सरे इजलास सुनाया गया ।

30/9/21

(अन्तर सिंह नेहरा)
जिला कलक्टर
जयपुर